रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 जुलाई, 2004/26 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय, उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

चम्बा, 7 जुलाई, 2004

संख्या 577-84.—चूंकि श्री धनदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत किलोड, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि० प्र०) के विरूद्ध श्रीमती बालो पत्नी श्री डूम राम, ग्राम जखराल, परगना किहार, तहसील सलूणी द्वारा दायर याचिका 1/2001, दिनांक 1-1-2001 के अन्तर्गत न्यायालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह के न्यायालय में दायर हुई, जिसका फैसला 19-4-2004 को हुआ। फैसले की नकल उप-मण्डल अधिकारी (ना०), चुराह के पत्र संख्या 842, दिनांक 21-6-2004 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई, फैसले का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार से है ।

श्री धनदेव, प्रधान ने अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जो तहसीलदार, भरमौर ने जारी किया, नामांकन-पत्र भरने के समय पेश किया ।

तहसील कार्यालय का रिकार्ड न्यायालय में पेश होने पर पाया गया कि क्रम संख्या 82 अनुसार प्रमाण-पत्र किसी और के नाम से जारी हुआ जो कि भरमौर पंचायत का निवासी है । जिससे स्पष्ट है कि तहसील भरमौर द्वारा उपरोक्त प्रधान के नाम कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं है ।

क्योंकि प्रधान, ग्राम पंचायत किलोड का पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था तथा प्रमाण-पत्र संख्या 82, दिनाक 27-10-2000 (अनुसूचित जनजाति) जो श्री धनदेव पुत्र श्री मान सिंह के नाम जारी हुआ है, वह गलत तरीके से हासिल किया है तथा अवैध पाया गया व न्यायालय में पेश किया गया राजस्व अभिलेख की प्रतियां, जिसमें श्री धनदेव पुत्र श्री मान सिंह, गांव किलोड का स्थाई निवासी है तथा ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखता है ।

श्री धनदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत किलोड ने जाली अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र देकर नामांकन-पत्र भरा तथा प्रधान पद का उम्मीदवार भी बन गया, उम्मीदवार बनने के बाद प्रधान का चुनाव भी जीत लिया । न्यायालय द्वारा प्रमाण-पत्र संख्या 82, दिनांक 27-10-2000 जो श्री धनदेव पुत्र श्री मान सिंह के नाम जारी हुआ है, उसे अवैध करार दिया है ।

उपरोक्त न्यायालय के फैसले अनुसार श्री धनदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत किलोड ने जाली प्रमाण-पत्र देकर चुनाव में निर्वाचित हुए हैं । जिस पद के वह योग्य नहीं थे ।

अतः श्री धनदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत किलोड, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा को उपरोक्त के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसका उत्तर 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्हें उपरोक्त कृत्य के बारे में कुछ नहीं कहना है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व उनका होगा ।

कार्यालय आदेश

चम्बा, 7 जुलाई, 2004

संख्या पंच-चम्बा-2004-569-76.—चूंकि पंचायत निरीक्षक कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, चम्बा की जांच रिपोर्ट संख्या 37 दिनांक 6-4-2004 द्वारा रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि श्री मदन लाल, उप प्रधान, ग्राम पंचायत रिण्डा, विकास खण्ड चम्बा मास जून, 2003 से 13-12-2003 तक कुल 12 बैठकों में से 9 बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	मास	दिनांक	बैठकों में अनुपस्थित/ उपस्थित
1	2	3	4
1.	जून, 2003	13-6-2003	अनुपस्थित
		30-6-2003	उपस्थित
2.	जुलाई, 2003	13-7-2003	अनुपस्थित
		29-7-2003	-उक्त-
3.	अगस्त, 2003	11-8-2003	उपस्थित
		30-8-2003	अनुपस्थित
4.	सितम्बर, 2003	13-9-2003	उपस्थित

1	2	3	4
5.	अक्तूबर, 2003	13-10-2003 30-10-2003	अनुपस्थित -उक्त-
6.	नवम्बर, 2003	13-11-2003 30-11-2003	अनुपस्थित -उक्त-
7.	दिसम्बर, 2003	13-12-2003	अनुपस्थित

जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत या इसकी समितियों (कोई भी पंचायत पदाधिकारी) की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है या पंचायत की स्वीकृति के बिना छः मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित नहीं होता है।

उपरोक्त के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या पंच-चम्बा-2004-342-349 दिनांक 14-6-2004 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसमें उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु 15 दिनों का समय दिया गया था। परन्तु उनका उत्तर तथ्यों के आधार पर नहीं पाया गया।

अतः मैं, राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अधिनियम, 1994 की धारा-131 (1) (ख) व उप धारा 2 में प्राप्त है श्री मदन लाल, उप प्रधान, ग्राम पंचायत रिण्डा को पद के अयोग्य घोषित करता हूं व उप प्रधान, रिण्डा के पद पर जनहित में बने रहना समाप्त करता हूं तथा उप प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं। यदि उनके कब्जे में पंचायत का कोई भी अभिलेख, धन या सम्पति है तो उसे ऐसे अभिलेख, धन, सम्पति को पंचायत सचिव को सौंप दे।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

कारण बताओ नोटिस

चम्बा, 3 जुलाई, 2004

संख्या 520-26.—चूंकि श्रीमती धोबी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लनोट, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अभिलेख की जांच/निरीक्षण सहायक नियन्त्रण (वित्त), योजना शाखा, कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा द्वारा की गई जांच/निरीक्षण में निम्न अनियमितताएं/आपत्ति पाई गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(1) रोकड़ बही.—रोकड बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रधान द्वारा मु0 7385/- रुपए निकासी उपरान्त 142 दिन तक अपने पास रखे। इसके बाद प्रधान द्वारा पंचायत पदाधिकारियों

के मानदेय, पहली किश्त निर्माण पक्की गली गांव बंजला हेतु दी गई थी जिसका योग मु0 10650/- रुपये बनता है नकद शेष के रूप में अपने पास रखा है ।

(2) निर्माण खच्चर रोड़ बगेल से धनेली.—ज्वाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत उपरोक्त खच्चर रोड़ हेतु 13000/- रुपये स्वीकृत थे जिसका निर्माण करने हेतु 13-3-01 को मस्ट्रौल नं0 1 उप प्रधान लनोट को जारी किया गया इसी कार्य हेतु मस्ट्रौल नं0 3 दिनांक 26-3-01 को पुनः उप प्रधान को जारी किया गया जिसमें प्रधान के मौहर सहित हस्ताक्षर है । लेकिन उप प्रधान द्वारा ब्यान किया गया कि उनको मस्ट्रोल नं0 1 दिनांक 13-3-01 को जारी किया था कार्यपूर्ति उपरान्त उप-प्रधान द्वारा मु0 16269/- रुपये का मस्ट्रौल भुगतान हेतु पंचायत में वापिस किया । कैश बुक के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि प्रधान द्वारा स्वयं भी इस कार्य हेतु मु0 10200/- रुपये का मस्ट्रौल भुगतान हेतु दिया गया, जिसमें से 7650/- रुपये श्रमिकों को भुगतान दर्ज रोकड़ है तथा शेष भुगतान मु0 2550/- रुपये दर्शाये गये हैं ।

उपरोक्त वर्णित मस्ट्रौल जो उप-प्रधान को जारी था प्रधान द्वारा अदायगी कैसे दर्शाई गई इससे प्रतीत होता है कि प्रधान द्वारा जाली बनाया गया । उपरोक्त प्रमांणक जांच के समय प्रस्तुत नहीं किए गये सचिव द्वारा बताया गया कि प्रमांणक जांच के समय खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सीलबन्द है ।

(3) निर्माण खच्चर रोड़ लनोट से भडेला तक.—वर्ष 2001-2002 में निर्माण खच्चर रोड़ लनोट से भडेला हेतु राशि मु0 100000/- रुपये शीर्ष (सुनिश्चित रोजगार योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी । इस सड़क के निर्माण के लिए प्रधान ने मजदूरी, कार्य पर लगाए । मस्ट्रौल का विवरण निम्न प्रकार से है ।

मस्ट्रौल	अवधि	कार्य पर लगे श्रमिक	खर्च की गई राशि
10	अप्रैल, 2002	1 मेट, 2 मिस्त्री, 23 बेलदार	23570.00
1	मई, 2002	1 मेट, 2 मिस्त्री 15 बेलदार	24860.00
4	मई, 2002	1 मेट, 14 बेलदार	15015.00
2	मई, 2002	9 बेलदार	12595.00
5	मई, 2002	1 मेट, 14 बेलदार	12375.00
6	जून, 2002	10 बेलदार	9460.00

प्रधान द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य मस्ट्रौल 1, 2, 4 व 5, मई, 2002 को पुनः जारी किए । इसके उपरान्त मस्ट्रौलों की छानबीन पर पाया गया कि मस्ट्रोल नं0 2, मास मई, 2002 में जगदीश चन्द पुत्र श्री मुसदी को जोकि क्रम संख्या 7 और श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री बलदेब जो कि क्र0सं0 8 में हैं, मस्ट्रौल नं0 4 में जो कि इसी मास व वर्ष हेतु जारी किया के क्र0 सं0 12 में श्री ओम प्रकाश सुपुत्र बलदेव और क्र0 सं0 14 में श्री जगदीश पुत्र मुसदी को दोबारा दर्शाया गया इनको निम्न प्रकार से भुगतान किया गया ।

(1)	श्री जगदीश चन्द	राशि	1155/-	मस्ट्रौल नं0	1
(2)	श्री ओम प्रकाश	,,	1155/-	,,	2
(3)	श्री जगदीश चन्द	,,	660/-	,,	2
(4)	श्री ओम प्रकाश	,,	715/-	,,	4

उपरोक्त मस्ट्रौल जाली प्रतीत होते हैं ।

(4) निर्माण कमरा प्रा0 पाठ0 बंजवार उक्त कार्य के निर्माण हेतु 95000/- रुपये की राशि स्वीकृत थी जिसकी पहली किश्त मु0 30000/- रुपये प्रधान द्वारा दिनांक 26-9-2002 को निकाली गई । जिसका व्यय 26-10-2002 को किया गया राशि एक मास तक अपने पास रखकर दुरूपयोग किया ।

(1) राशि 21627/- रुपये का एम0/एस0 के0 आर0 स्टील को इन्डस्ट्री परले चम्बा को भुगतान ।
(2) राशि 700/- रुपये का एम0 एस0 हंस राज ट्रांस्पोटर को भुगतान ।
(3) राशि 6900/- रुपये हि0 प्र0 स्टेट सिवल सप्लाई को भुगतान ।
(4) राशि 300/-रुपए एम0 एस0 हंस राज ट्रास्पोटर को ढुलाई भुगतान ।
(5) राशि 20/- रुपए लोडिंग के ज्ञान चन्द को भुगतान ।
(6) राशि 600/- रुपए पवन कुमार को बिल नं0 344 दिनांक शून्य ईन्ट खरीद का भुगतान ।

उपरोक्त प्रमांणक बिना नम्बर व दिनांक के पाये गए, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई। प्रधान द्वारा निम्नलिखित प्रमांणक उप-प्रधान की उपस्थिति में विकास खण्ड अधिकारी, सलूणी को 75 प्रतिशत कार्य के प्रमांणक जमा करवाए गए । प्रधान पूर्ण कार्य के प्रमांणक जमा करवाने में असफल रहे ।

(1) मापन पत्र सं0 7 जून 2002 मु0 10890.00.
(2) बजरी ढुलाई श्री बाल कृष्ण सुपुत्र श्री जयदयाल मु0 160.00.
(3) पत्थर सिमेन्ट व रेता ढुलाई श्री बलदेव सुपुत्र श्री हरदयाल मु0 2700.00
(4) रेता/बिल रसीद श्री प्रेम लाल सुपुत्र श्री दीवान मु0 1100/-
(5) रेत बिल/रसीद श्री कृष्ण चन्द सुपुत्र श्री निर्मल मु0 1100/-
(6) पत्थर, रेता व ईंटों की ढुलाई श्री मान सिंह सुपुत्र श्री कण्ड मु0 5700/-
(7) पत्थरों की कीमत श्री देश राज सुपुत्र श्री धर्म सिंह मु0 1680/-
(8) मिस्त्री रत्न चन्द सुपुत्र श्री परस राम श्री लच्छो सुपुत्र श्री कण्ठ 3000/-

अत: उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमती धोबी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत लनोट को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, जिसका उत्तर 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत होना चाहिए अन्यथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(1) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

उत्तम सिंह वर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

आदेश

हमीरपुर, 6 जुलाई, 2004

संख्या पी0 सी0 एन0-एच0 एम0 आर0 (5) (ई) 1/2004-3121-26.—यह कि श्री बतन सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत पाहलू, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर को कार्यालय आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-एच0 एम0

आर0 (5) (ई) 9/2002-3012-19 दिनांक 29-6-2004 द्वारा निम्नलिखित आरोप प्रमाणित होने के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया । आरोपों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. श्री वतन सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत पाहलू, रा0 प्रा0 पा0 बैरी की पी0 टी0 ए0 कमेटी का भी प्रधान था । पी0 टी0 ए0 कमेटी की दिनांक 8-7-2002 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या-2 में रा0 प्रा0 पा0 बैरी के गिरे हुए कमरों के सामान जैसे दार, स्लेटों को निलाम करने का निर्णय लिया । परन्तु इस प्रस्ताव में इन गिरे हुए कमरों से प्राप्त हुए सामान का कोई विवरण न दिया गया कि लकड़ी व स्लेट कितने-कितने हैं । जबकि बतौर अध्यक्ष उसका यह कर्तव्य बनता था कि वह इस प्रस्ताव में गिरे हुए कमरों से प्राप्त हुए सामान का पूर्ण विवरण दिलवाता । इस तरह उसने अपने कर्तव्य के बिरूद्ध कार्य किया है ।

2. गांव दौऊगली में कुआं निर्माण हेतु मु0 85,000/-रुपये स्वीकृत थे तथा पंचायत अभिलेख अनुसार इस कार्य पर व्यय मु0 85,100/-रुपये है जिसमें से मु0 62,483/-रुपये के बाऊचर दर्ज रोकड़ है तथा मु0 22,617/- रुपये को मस्ट्रोल अदायगी हेतु शेष है । प्रधान ने अपने उत्तर में मु0 22,617/-रुपये का कार्य किया जाना शेष बताया है तथा इसके साथ ही कार्य का पूर्ण व्यय 85,100/- रुपये बताकर अन्तिम किस्त की मांग की है । जबकि सहायक अभियन्ता (विकास), हमीरपुर से किए गए कार्य का मूल्यांकन कराने पर वह मु0 72,110/- रुपये हुआ है । इस तरह प्रधान ने इस कार्य पर मु0 85,100/- रुपये व्यय करके मु0 12,990/- रुपये के दुरूपयोग का प्रयास किया है वहीं तथ्यों को छुपा कर विभाग को गुमराह किया है ।

3. निर्माण रास्ता गोहर नाला से नाग देवता गांव दोगली के कार्य हेतु मु0 20,000/- रुपये का अनुदान स्वीकृत था । ग्राम पंचायत के अभिलेख अनुसार इस कार्य पर मु0 19568/- रुपये व्यय हुआ है । इस व्यय में तकनीकी सहायक का मानदेय भाग मु0 200/- रुपये भी शामिल है । इस तरह कार्य पर वास्तविक व्यय मु0 19,368/- रुपये बनता है जबकि प्रधान ने इस कार्य का व्यय लेखा मु0 19,998/- रुपये प्रस्तुत किया है । इस कार्य का मूल्यांकन सहायक अभियन्ता से कराये जाने पर यह मु0 19,300/रुपये है इस तरह प्रधान श्री बतन सिंह ने मु0 68/- रुपये का दुरूपयोग किया है वहीं मु0 468/- रुपये का अधिक व्यय लेखा खण्ड विकास अधिकारी, बिझड़ी को प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया है ।

4. निर्माण पक्का रास्ता गांव वधान तथा करतार सिंह के घर से आगे नाले तक डंगों के निर्माण हेतु मु0 25,100/- रुपये स्वीकृत थे । पंचायत अभिलेख अनुसार कार्य पर व्यय मु0 25,267/-रुपये हुआ है जबकि किए गए कार्य का सहायक अभियन्ता (विकास), हमीरपुर से मूल्यांकन कराये जाने पर वह मु0 23,249/- रुपये है । इस तरह मु0 2,018/- रुपये का दुरूपयोग हुआ है जिसके लिए श्री वतन सिंह प्रधान दोषी है ।

5. निर्माण कमरा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बैरी हेतु स्वीकृत अनुदान का राजकीय माध्यमिक पाठशाला बैरी में कमरा निर्माण पर व्यय करके सरकारी आदेश की अवहेलना तथा नियम/अधिनियम की उलंघना कर मनमर्जी से कार्य किया है । जिसके लिए श्री वतन सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत पाहल दोषी है ।

उपरोक्त वर्णित आरोपों में प्रधान की प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर संलिप्तता पाए जाने के कारण दिनांक 29-6-2004 को श्री बतन सिंह को प्रधान पद से निलम्बित किया गया । अब इन आरोपों की वास्तविकता जानने व मामले की पूर्ण स्थिति सामने लाने हेतु नियमित जांच कराने का निर्णय लिया गया है ।

अतः मैं, देवेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) उन शक्तियों के अधीन, जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री वतन सिंह प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत पाहलू, विकास खण्ड बिझड़ी के विरूद्ध कथित आरोपों की नियमित जांच हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), बड़सर को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक बिझड़ी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूं ।

देवेश कुमार,
उपायुक्त, हमीरपुर,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 1 जुलाई, 2004

संख्या पीसीएच (कु0) त्यागपत्र/रिक्त स्थान-1245-49.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, नगर ने अपने पत्र संख्या 1/0 दिनांक 6-5-2004 में सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कटराई के वार्ड संख्या-5 से निर्वाचित पंच श्री सुरेश उपाध्याय की मृत्यु दिनांक 31-3-2004 को हो जाने के कारण ग्राम पंचायत कटराई के वार्ड संख्या-5 में पंच का पद रिक्त हो गया है। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत कटराई के प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 30-4-2004 तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण-पत्र से होती है।

अतः मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) व (4) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, ग्राम पंचायत कटराई, विकास खण्ड नगर में उक्त पद को उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से रिक्त घोषित करता हूं।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-6 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित